न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—74/2005 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जरिये लैण्ड होल्डर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. किशोरी पुत्र मुरली जाति जाट निबासी रेस्ती तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :—
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—25.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 50 मिन जिसका हाल ख0 नं0 102 रकबा 1.18 बीघा वाके ग्राम मेलखेड़ी में स्थित है जो आराजी विवादित है । उक्त साबिक नम्बर 50 का पूरा का पूरा नम्बर बंजड़ कदीम था जो जागीरदारान मकबूजे ठिकाना पदमसिंह की पट्टी थी जिसमें से नया नम्बर 102 कायम हुआ । साबिक नम्बर में से विवादित आराजी पर जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम पारित होने से पूर्व से ही वादी के पिता की कब्जे काश्त थी जो लगातार बाद फौतगी वादी के पिता व अन्य वादी काबिज चला आ रहा है जिसकी ताईद में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 पेश की है । वक्त जागीरदारी उन्मूलन वादी का पिता एवं वादी स्वयं काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसके मुताबिक काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर स्वतः ही मिन वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर देना चाहिए था जो बन्दोबस्त विभाग की भूल से जो कि सम्वत् 2014 में हुआ वादी के पिता के नाम दर्ज नहीं किया जबकि मौके पर जिस दिन जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ उससे पूर्व से ही वादी के पिता को काश्त खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 में दर्ज है तथा तभी से वादी का पिता विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है एवं बाद फौतगी वादी पिता एवं मौके पर काबिज काश्त करता चला

आ रहा है जिसे हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी प्राप्त करने का वादी अधिकारी है । बन्दोबस्त विभाग ने वादी के खातेदारी में न दर्ज कर विवादित आराजी को गैर मु0 तलाई दर्ज कर दिया जबकि मौके पर कोई तलाई नहीं है बल्कि समतल आराजी है और काबिल काश्त है जिस पर वादी व वादी का पिता सम्वत् 2012 से ही लगातार काश्त करता चला आ रहा है अब भी मौके पर फसल बोई हुई है । वादी की अन्य आराजीयात भी कुल यही इसके पास पड़ती है तथा विवादित आराजी में वादी का 12 साल पुराना पक्का कुआ भी बना हुआ है जिससे वादी समस्त खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई करता चला आ रहा है । वादी एक गरीब अनपढ़ किसान है जिसे आराजी खसरा नम्बर का कोई ज्ञान नहीं था जिसकी जानकारी पटवारी से हुई । प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादी को बेदखल करने की जुस्तजू में है और अगर रेकार्ड माल की आड़ में प्रतिवादी ने वादी को बेदखल कर दिया तो वादी के बच्चे बेघर हो जायेगें । अतः वाद वादी डिक्री करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 05.06.2003 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 05.06.2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

पैरोकार सरकार अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कहना है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन तलाई जोहड़ी सम्वत् 2011 से आज तक दर्ज रेकार्ड है । आर.टी.एक्ट लागू होने के समय से धारा 16 से उक्त विवादित आराजी प्रतिबंधित है । साबिक रेकार्ड पेश करने का हवाला दिया है । विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन तलाई है जो धारा 16 से हिट होती है । राजकार्य में व्यवस्त होने के कारण अपील मियाद बाहर देरी से पेश हुई है । अतः डिले कन्डोन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करने की इस्तदुआ की ।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वाद/रेस्पो0 का दावा तहत न्यायालय में घोषणा का पेश किया था । आराजी ख0 नं0 50 साबिक सम्वत् 2014 में जो बन्दोबस्त हुआ उस वक्त नया नम्बर 102 रकबा 1.10 बीघा में तलाई बना दी । ख0 नं0 50 काफी बड़ा रकबा है । सम्वत् 2007–11 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें काश्त दर्ज है तथा किस्म बंजड़ कदीम थी । विवादित आराजी पदमसिंह जागीरदार की थी । हम पट्टेदार के रूप में काश्त में थे । सभी आराजी काबिल काश्त थी । तहसीलदार की रिपोर्ट आयी है जिसमें सम्वत् 2007–11 की जमाबन्दी नहीं है तो तहत न्यायालय ने गिरदावरी के आधार पर ही खातेदारी दी है । मौके पर तलाई नहीं है । सम्वत् 2014 के बन्दोबस्त में गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर दी । बंजड़ कदीम को तलाई दर्ज नहीं कर सकते हैं । इस आदेश के खिलाफ ग्रामवासियों ने इस डिक्री की अपील की थी जो दि0 2.8.2004 को अपील खारिज कर दी गई उसमें भी सरकार पक्षकार थी । राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के आदेश के खिलाफ

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में गये वहां भी सरकार पक्षकार थी जो अपील भी दि0 21.4.2014 को खारिज हुई है । इतना होने के बाद भी जब सरकार को जानकारी थी तो सरकार ने समय पर अपील क्यों नहीं की । डिक्री की इज्राय से जानकारी बतायी है । इसलिए मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

मैरिट पर बहस में आगे कहा कि रेस्पो0 का यह कहना है कि बन्दोबस्त ने जो गलत किया है उसे ही हमने तहत न्यायालय में दावा करके दुरूस्त करा लिया है । सम्वत् 2011–14 तक हम काश्त में थे । विवादित आराजी पर हमारा कब्जा सम्वत् 2014 के बाद से है और अब तक है । मेरा रेकार्ड से प्रकरण साबित है कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन तलाई नहीं रही है । बन्दोबस्त के इन्द्राज गलत है । मेरी साक्ष्य से भी साबित है कि विवादित आराजी तलाई नहीं है । तहत न्ययालय ने रेकार्ड अनुसार सही निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी. जे. 1999 पेज 292, आर.बी.जे. 2007 पेज 311, आर.बी.जे. 2008 पेज 201, आर.आर.डी. 2001 पेज 26, ए.आई.आर. पेज 204, आर.आर.डी. 1987 पेज 453 व आर.बी.जे. 2005 पेज 132 पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2003 का अवलोकन किया । साथ ही प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

वादी ने तहत न्यायालय में वाद इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 50 मिन एक बड़ा रकबा था तथा उसमें से हाल ख0 नं0 102 रकबा 1.10 बीघा कायम किया गया । यह साबिक ख0 नं0 50 मिन जागीरदारी की जमीन थी तथा जागीरदार पदमसिंह की पट्टी थी जिसमें उक्त साबिक रकबा पर वादी के पिता मुरली की सम्वत् 2007 से 2011 तथा सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त थी । जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के साथ ही कब्जे काश्त के आधार पर वादी को स्वतः खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिए परन्तु बन्दोबस्त सम्वत् 2014 में विवादित आराजी का गैर मुमकिन तलाई के रूप में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका रेकार्ड में दर्ज कर दिया । तहसीलदार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सम्वत् 2007 से 2011 व 2012–14 की जमाबन्दी उनके पास नहीं है । अतः तहत न्यायालय ने विवेचन करते हुए खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007–11 एवं 2012 के आधार पर कब्जा काश्त मानकर तथा हाल में भी लगातार कब्जा काश्त मानकर वाद वादी इस आधार पर डिक्री किया कि सम्वत् 2014 से पूर्व यह जमीन बिश्वेदारी में थी तथा किस्म बंजड़ कदीम थी परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने गलत रूप से एवं खिलाफ कानून रेकार्ड में गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर दी जिस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने तथा वादी को काश्तकार घोषित कराने हेतु यह दावा तहत न्यायालय में पेश किया जो दि0 05.06.2003 को डिक्री किया गया ।

दावे में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने पर गांव के अन्य लोगों ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की जो खारिज हो गयी । माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 21.04.2014 से यह मत प्रदान किया है कि विवादित आराजी ख0 नं0 102 वादी की अन्य खातेदारी की आराजी के बीचों बीच है । अतः

वहां पर अन्य लोगों को मवेशियों के पानी पीने की आवश्यकता कानून सम्मत प्रतीत नहीं होती है । इन अपीलों में पैरोकार सरकार भी पक्षकार थी ।

पैरोकार सरकार ने तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.06.2003 की दो वर्ष बाद अपील पेश की जिसका रेस्पो0 अभिभाषक ने मियाद अधिनियम के आधार पर जवाब दिया कि जब निर्णय तहत न्यायालय की पैरोकार सरकार को जानकारी थी तो उनके द्वारा अपील देरीना क्यों पेश की थी । इसका कोई कारण नहीं है । अतः डिले कन्डोन नहीं किया जा सकता है और इस बिनाय पर भी अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है । रेस्पो0 अभिभाषक ने इस संबंध में बहुत–सी कानूनी नजीरों का हवाला दिया और यह भी कहा कि बन्दोबस्त विभाग को किसी आराजी की किस्म बदलने का अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय ने रेकार्ड व कानून का विवेचन करते हुए सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर तथा गुणावगुण पर खारिज करने की इस्तदुआ की । पैरोकार सरकार ने अपील में अपने बिन्दुओं को बहस में दोहराया और विवादित आराजी पर तहत न्यायालय द्वारा दी गयी डिक्री को निरस्त करने की इस्तदुआ की ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमने तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 5.6.2003 का अवलोकन किया । रेकार्ड का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 द्वारा तहसीलदार गोविन्दगढ़ को दि0 10.6.2002 को एक प्रार्थना पत्र नकल दिये जाने जमाबन्दी सम्वत् 2007–11 आराजी ख0 नं0 साबिक 50 मिन हाल ख0 नं0 102 रकबा 1.10 बीघा वाके ग्राम मेलखेड़ी पेश किया । इस पर तहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा रिपोर्ट की गयी कि मुताबिक फहरिस्त बस्त व रजिस्टर क अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2007–11 तक की जमाबन्दी में कार्यालय में उक्त जमाबन्दी ग्राम मेलखेड़ी भी तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जमा नहीं करायी गयी है । प्रार्थी को सूचित करें । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 (1955 से 1958) के अनुसार थोक पट्टी ख0 नं0 50 रकबा 62.11 बीघा किस्म बंजड़ कदीम पर विभिन्न काश्तकारों की काश्त अंकित है तथा जिसमें मुरली वल्द गुल्ला सा0 रेस्ती की 2 बीघा पर जोत व चना दर्ज रेकार्ड है । सम्वत् 2014 के बन्दोबस्त ने उक्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी 102 रकबा 1.10 बीघा गैर मुमकिन तुलाई दर्ज रेकार्ड कर दिया । खसरा गिरदावरी हाल के अनुसार मौके पर काश्त अंकित है ।

इस प्रकार से तहत न्यायालय द्वारा यह प्रकरण बन्दोबस्त के गलत इन्द्राजों को दुरूस्त करते हुए विवादित आराजी की जो पूर्व किस्म थी उसके आधार पर संशोधन किया है तथा जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राजों को ही दोहराना चाहिए तथा बन्दोबस्त विभाग को विवादित आराजी की किस्म बदलने का कोई अधिकारी नहीं है ।

जहां तक खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रश्न है । विवादित आराजी जमीदारी बिश्वेदारी की आराजी रही है तथा उक्त जमीदार बिश्वेदारी उन्मूलन के समय कब्जे काश्त के आधार पर विवादित आराजी पर तहत न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर विवेचन करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

तहत न्यायालय के निर्णय की अपील पैरोकार सरकार द्वारा की गयी है उसमें देरी का कारण पर्याप्त नही बताया है जबकि वह 96 सी.पी.सी. के निर्णय व अपील में शामिल थी तथापि गुणावगुण पर पारित निर्णय के आधार पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में देरी को कन्डोन नहीं करने के रेस्पो. अभिभाषक की कानूनी नजीरें सही हैं ।

इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण व मियाद अधिनियम पर काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2003 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर